भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3546

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

बंकर पर जीएसटी

†3546. श्री विजय कुमार दूबेः

श्री रेबती त्रीपुराः

श्री संतोष कुमारः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या व्यापारी जहाजों को आपूर्ति किए गए बंकर पर माल और सेवा कर (जीएसटी) वर्तमान में 5 प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बंकरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी, जो बाद में घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था, लगाने के बाद भारत में पूरे बंकर कारोबार में तीव्र गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त बंकरों पर जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद से केवल मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में जीएसटी के लागू होने के बाद भारी राजस्व लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जीएसटी लागू होने के कारण बंकर उद्योग में मंदी के कारण बहुत अधिक संख्या में नौकरी का नुकसान हुआ है और साथ ही विगत और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशों से आने वाले धन में भी बहुत कमी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जहाजों या जलयानों में प्रयोग किये जाने वाले बंकर फ्यूल (IFO 180 CST, IFO 380 CST) पर इस समय 5% की दर से जीएसटी लगायी जा रही है।

(ख) से (घ): प्रारम्भ में जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर बंकर फ्यूल पर 18% की दर से जीएसटी लगायी गई थी। इसके बाद यह पाये जाने पर कि बाहर जाने वाले जलयानों को आपूर्ति किये जाने वाले बंकर फ्यूल पर इतनी ऊंची दर से जीएसटी लगायी जाने से पड़ोसी देशों की अपेक्षा भारत की प्रतिस्पर्धा शक्ति कम हो गयी थी इसलिए जीएसटी परिषद ने बंकर फ्यूल पर जीएसटी की दर को कम करके 5% करने की सिफारिश की थी। जीएसटी परिषद ने आगे यह भी पाया है कि बंकर फ्यूल पर जीएसटी की इस दर से तटीय शिपिंग को बाहर जाने वाले जलयानों के बराबर ही प्रोत्साहन मिलता है और इससे अंततः प्रयोग की मॉनीटरिंग करने की प्रशासनिक समस्या से निजात भी मिल जाती है।

*****